रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102024-257979
CG-DL-E-17102024-257979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4182] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 2024/आश्विन 24, 1946
No. 4182] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2024/ASVINA 24, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,16 अक्तूबर, 2024

का. आ. 4546(अ).— केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीर ऐशवान वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 3313(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय हे कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है ;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकती है ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3313(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2016 में

संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 3313(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरे रखे जाएंगे, अर्थात्:--

"**5. मानीटरी समिति--**(1) केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मनीटरी के लिए एक मनीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

(i)	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पंजाब सरकार	अध्यक्ष, पदेन ;
(ii)	ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, पंजाब सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(iii)	क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधि, पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन ;
(iv)	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजाब सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य ;
(v)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जो सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।	सदस्य ;
(vi)	ग्रामीण विकास एवं आवास विभाग, पंजाब सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(vii)	कृषि, पंजाब सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(viii)	संगरूर के जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(ix)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक सदस्य	सदस्य, पदेन ;
(x)	प्रभागीय वनाधिकारी (संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी)	सदस्य-सचिव, पदेन ;

(2) मानीटरी समिति, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय स्थितियों के आधार पर भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, पारिस्तिथिकी संवेदी जोन में आने वाले और उस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, उपपैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय स्थितियों पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संबद्ध उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मामले दर मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, समिति के अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट प्रोफ़ार्मा में, उस वर्ष की 30 जून तक मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।

(7) केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे" ।

[फा.सं. 25/24/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण.-- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ.3313(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2024

S.O**. 4546(E).**— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Bir Aishwan Wildlife Sanctuary, Punjab in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3313(E), dated the 26th October, 2016 ;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3313(E), dated the 26th October, 2016;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3313(E), dated the 26th October, 2016 , namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(a)	Chief Conservator of Forests (Wildlife), Government of Punjab	Chairman, ex officio;
(b)	Representative of Department of Rural Development and Panchayat, Government of Punjab	Member, ex officio;
(c)	Representative of the Regional Office, Punjab State Pollution Control Board	Member, ex officio;
(d)	One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the Government of Punjab for a period of three years.	Member;
(e)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of for a period of three years.	Member;
(f)	One representative of the Department of Rural Development and the Housing Department, Government of Punjab	Member, ex officio;
(g)	One representative of Agricultural, Government of Punjab	Member, ex officio;
(h)	One representative of the District Collector of Sangrur	Member, ex officio;
(i)	Member of the State Biodiversity Board	Member, ex officio;
(j)	Divisional Forest Officer (In-charge of Protected Area)	Member Secretary, ex officio.

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a

IndiaCode

representative from industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements a on case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro forma specified in **Annexure-IV**.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/24/2014-/ESZ/RE]

(Dr. S. KERKETTA) Scientist "G"

Note.-- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3313 (E), dated the 26th October,

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.17 14:51:05 +05'30'